मुख्य चिकित्सा अधीक्षक इस समिति के सचिव एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य हैं।

- बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपने बी. पी. एल. कार्ड को लेकर जिला चिकित्सालय में चिकित्सकीय परीक्षण करायेंगे।
- परीक्षण के उपरान्त यदि उपचार जिला चिकित्सालय में सम्भव नहीं हो तो जिला व्याधि निधि समिति विशेषज्ञ की राय पर मरीज को विशिष्ट चिकित्सा उपचार हेतु चयनित चिकित्सालय को सन्दर्भित (रैफर) करेगी।
- सन्दर्भित चिकित्सालय में मरीज का परीक्षण होगा एवं परीक्षण के आधार पर मरीज द्वारा चिकित्सक से उपचार में होने वाले व्यय का आगणन (इस्टीमेट) प्राप्त किया जाएगा।
- सहायता के लिए मरीज द्वारा आवेदन पत्र, बी.पी.एल. कार्ड, उपचार करने वाली संस्था का आगणन तथा जिला चिकित्सालय की सन्दर्भण स्लिप जिला व्याधि निधि प्रबन्धन समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।
- जिला व्याधि निधि प्रबन्धन समिति के निर्णय उपरान्त मरीज द्वारा समस्त अभिलेख, सत्यापित कर राज्य व्याधि सहायता निधि समिति, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, 107, चन्दर नगर, देहरादून को प्रेषित किये जायेंगे।
- राज्य व्याधि सहायता निधि समिति प्राप्त अभिलेखों का परीक्षण कर उपचार करने वाली संस्था को तत्काल उपचार हेतु आदेश जारी करती है।
- राज्य व्याधि सहायता निधि द्वारा स्वीकृत धनराशि सीधे उपचार करने वाली संस्था को भेजी जाती है।
- राज्य व्याधि सहायता निधि के अन्तर्गत पूर्व में कराए गये उपचार की प्रतिपूर्ति का कोई प्राविधान नहीं है।

अपील

राज्य व्याधि सहायता निधि समिति भारत अथवा विदेश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति / संस्था से अपील करती है कि वह इस निधि में सहयोग प्रदान कर पुण्य अर्जित करें। आप द्वारा दान की राशि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80- जी के अन्तर्गत कर मुक्त होगी।

अधिक जानकारी के लिए कृपया सम्पर्क करें :

महानिदेशक
स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तराखण्ड सरकार
107- चन्दर नगर, देहरादून
दूरभाष : 0135-2720311, 2725593

उत्तराखण्ड राज्य व्याधि सहायता निधि

उत्तराखण्ड सरकार

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तराखण्ड
107- चन्दर नगर, देहरादून

उत्तराखण्ड राज्य व्याधि निधि क्या है?

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के व्यक्तियों को घातक बीमारियों, दुर्घटना आदि हेतु चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए राज्य एवं भारत सरकार के अंशदान से गठित एक निधि है।

इस निधि से उत्तराखण्ड में निवास करने वाले बी. पी. एल. परिवार के सदस्यों को सहायता मिलेगी।

सहायता राशि डेढ़ लाख रूपया तक की सीमा में उपचार करने वाली संस्था को प्रदान की जाती है।

इससे अधिक धनराशि के लिए राष्ट्रीय व्याधि सहायता निधि भारत सरकार को आवेदन किया जाता है।

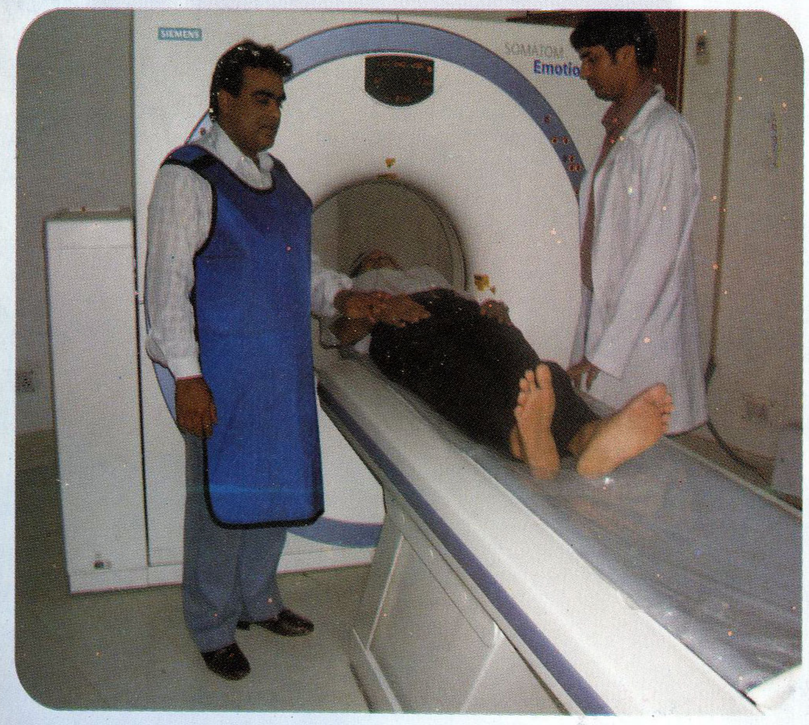

यह निधि किन बीमारियों में सहायता प्रदान करती है?

निम्न असाध्य बीमारियों के विशिष्ट चिकित्सा उपचार में सहायता प्रदान की जाती है :

- कैंसर
- हृदय रोग (शल्य क्रिया सहित)
- असाध्य मानसिक रोग (शल्य चिकित्सा सहित)
- ब्रेन ट्यूमर (शल्य चिकित्सा सहित)
- एड्स।
- टोटल हिप-नी रिप्लेसमेंट
- स्पाईनल सर्जरी
- मेजर वैस कुलर सर्जरी
- बोन मैरो ट्रान्सप्लान्टेशन
- गुर्दा प्रत्यारोपण
- कॉर्नियो प्लास्टी

विशिष्ट उपचार हेतु चयनित चिकित्सा संस्थान

राज्य व्याधि सहायता निधि समिति द्वारा देश के निम्न चिकित्सालयों/ संस्थानों को उपचार हेतु चयनित किया है :

- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
- मेडिकल कॉलेज मेरठ, उत्तर प्रदेश
- एस. जी. पी. जी. आई., लखनऊ
- पी. जी. आई., चण्डीगढ़
- सरोजनी नायडू चिकित्सालय, आगरा
- इरविन चिकित्सालय, नई दिल्ली
- सफदरजगं चिकित्सालय, नई दिल्ली

- मानसिक चिकित्सालय, नई दिल्ली
- मानसिक चिकित्सालय, आगरा
- मानसिक चिकित्सालय, बरेली
- महन्त इन्द्रेश हॉस्पिटल, देहरादून
- सी. एम. आई., देहरादून
- कृष्णा नर्सिंग होम, हल्द्वानी
- मिशन हॉस्पिटल, बरेली
- इण्डियन स्पाइनल इन्जरी सेन्टर, नई दिल्ली
- नेशनल हार्ट इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली
- डॉ. सुशीला तिवारी, स्मारक वन चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी, नैनीताल
- हिमालयन इन्स्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट जौली ग्राण्ट, देहरादून

उत्तराखण्ड राज्य व्याधि सहायता निधि से मदद कैसे प्राप्त करें

- उत्तराखण्ड के समस्त जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला व्याधि निधि प्रबन्धन समिति का गठन किया गया है। जिला चिकित्सालय के